



# राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ०प्र०

7/23, सेक्टर-7, गोमतीनगर विस्तार, लखनऊ-226027

Website-sudaup.org

पत्रांक : 10383 / 28/76/एक/2018-19

दिनांक : 07 जनवरी 2019

सेवा में,

जिलाधिकारी/अध्यक्ष,  
जिला नगरीय विकास अभिकरण  
जनपद-कानपुर नगर।

विषय : मुख्यमंत्री नगरीय अल्पविकसित व मलिन बस्ती विकास योजनान्तर्गत धनराशि का प्रेषण  
महोदय,

अभिकरण द्वारा वित्तीय वर्ष 2018-19 में आपके जनपद को मुख्यमंत्री नगरीय अल्प विकसित व मलिन बस्ती विकास योजनान्तर्गत (अनुदान संख्या-37/83) में शासन द्वारा स्वीकृत की गई निम्न परियोजनाओं की प्रथम किश्त की धनराशि निम्नलिखित विवरण के अनुसार अवमुक्त की जा रही है:-

धनराशि का प्रेषण (लाख ₹० में)			
बैंक का नाम	खाता संख्या	आईएफएससी कोड	धनराशि
एच०डी०एफ०सी० बैंक	02981000135746	IFSC Code HDFC0000298	233.546

(धनराशि लाख ₹० में)

क्र० सं०	जनपद का नाम	अनुदान संख्या	निकाय का नाम	बस्ती/वार्ड का नाम	मुख्यमंत्री नगरीय अल्प विकसित व मलिन बस्ती विकास योजनान्तर्गत धनराशि का प्रेषण	शासन से प्राप्त धनराशि में सेन्डेज की कटौती के उपरान्त प्रेषित धनराशि
1	कानपुर नगर	मु०अ०-37	न० नि० कानपुर	वार्ड नं० 17 बैरी कछार में चन्द्रमोहन शर्मा के मकान से एच०डी०पाण्डेय० के मकान होते हुए कृष्ण लाल शर्मा के मकान तक एवं पास की गलियों में इण्टरलॉकिंग एवं नाली निर्माण कार्य, चन्द्रमोहन शर्मा के मकान से चेताराम यादव के मकान तक एवं पासी की गलियों में इण्टरलॉकिंग एवं नाली निर्माण कार्य, के०एस०शुक्ला के मकान से प्रदीप कटियार के मकान तक इण्टरलॉकिंग एवं नाली निर्माण कार्य एवं अतिरिक्त नाली, गिरीश चन्द्रा के मकान से अमित यादव के मकान तक इण्टरलॉकिंग एवं नाली निर्माण कार्य।	26.651	50%
2	कानपुर नगर	मु०अ०-37	न० नि० कानपुर	वार्ड नं० 66 पशुपति नगर में आर०के० अवस्थी के मकान से हरपाल सिंह यादव के मकान तक, हरपाल सिंह यादव के मकान से नन्दनी पाण्डेय के मकान तक, संजय तिवारी के मकान से रामप्रताप द्विवेदी के मकान तक, रिकू शुक्ला के मकान से आर०एस० वर्मा के मकान तक, निर्मल कुमार यादव के मकान से चन्द्र शेखर तिवारी, गिरजेश मिश्रा के मकान से बाबा सिद्धेश्वर मन्दिर तक इण्टरलॉकिंग नाली निर्माण कार्य।	26.406	50%



# राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ०प्र०

7/23, सेक्टर-7, गोमतीनगर विस्तार, लखनऊ-226027

Website-sudaup.org

क्र० सं०	जनपद का नाम	अनुदान संख्या	निकाय का नाम	बस्ती/वार्ड का नाम	मुख्यमंत्री नगरीय अल्प विकसित व मलिन बस्ती विकास योजनान्तर्गत धनराशि का प्रेषण	शासन से प्राप्त धनराशि में सेन्टेज की कटौती के उपरान्त प्रेषित धनराशि
3	कानपुर नगर	मु०अ०-37	न०नि० कानपुर	वार्ड नं० 60 मो० रावतपुर न्यू आदर्श नगर में मां केमिस्ट की दुकान से राम नरेश के घर तक, मंगलम आयुर्वेद की दुकान से लखन सेठ के घर तक, बाल विद्या मन्दिर स्कूल से राजीव सिंह चन्देल के घर तक, डी०एल० कटियार के घर से शिव नरेश के घर तक, उमेश गोस्वामी के घर से मेन सीसी रोड तक, अभिषेक द्विवेदी के घर से सागर केमिकल तक, गली के किनारे कल्पना सिंह के घर तक, किशनपाल के घर से भागवत तिवारी के घर सुरेन्द्र नगर, विश्वनाथ से दीपू चौहान के घर तक, एवं कल्याण सिंह के घर तक इण्टरलॉकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	38.755	50%
4	कानपुर नगर	मु०अ०-37	न०नि० कानपुर	वार्ड नं० 08 मसवानपुर पुरानी बस्ती में सुदामा के मकान से लिंक मार्ग तक, राम विलास कुशवाहा के मकान से प्रेमनाथ के घर तक, दिनेश तिवारी के मकान से अनिल के मकान तक श्यामा की दुकान से प्रजापति के घर तक, मसवानपुर बस्ती मार्ग से हनुमान मन्दिर तक, मौजीलाल के मकान से बाजपेयी के घर एवं सम्पर्क गली मसवानपुर बस्ती मां से लोहे की पुलिया तक, ओम प्रकाश द्विवेदी के मकान से मसवानपुर बस्ती मार्ग तक, रामजीवन सविता के घर से आलोक के घर तक कठेरिया के घर से मृदुल भूषण के घर तक इण्टरलॉकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	34.925	50%
5	कानपुर नगर	मु०अ०-37	न०नि० कानपुर	वार्ड नं० 08 यूनाईटेड नगर सराय बस्ती में सुभाष पाण्डेय के मकान से मेन गली तक, शिवकान्ती के मकान से सावित्री के मकान एवं बाल्मीकि के मकान तक, बाजपेयी के मकान से सरयू नारायण एवं महेश के मकान तक, नत्थू के मकान से सियाराम के मकान एवं पास की गलियों में सुन्दर लाल के मकान से कलाकान्ती के मकान तक, इण्टरलॉकिंग एवं सड़क निर्माण कार्य।	18.048	50%
6	कानपुर नगर	मु०अ०-37	न०नि० कानपुर	वार्ड नं० 21 मो० खाण्डेपुर वार्ड के अन्तर्गत नारायणपुरी नौबस्ता में अजय यादव के मकान से ब्रज बिहारी के मकान तक, अन्जली दुध डेयरी से पुष्प निगम के मकान तक एवं पास की गलियों में, उदय नारायण गुप्ता के मकान से शिवपाल यादव के मकान तक, छोटे लाल तिवारी के मकान से सोनू अवस्थी के मकान तक, अवस्थी फर्नीचर से एच०एन. सिंह के मकान तक, अवस्थी फर्नीचर से मेन रोड तक, रूबी पब्लिक स्कूल से	88.761	50%



# राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ०प्र०

7/23, सेक्टर-7, गोमतीनगर विस्तार, लखनऊ-226027

Website-sudaup.org

क्र० सं०	जनपद का नाम	अनुदान संख्या	निकाय का नाम	बस्ती/वार्ड का नाम	मुख्यमंत्री नगरीय अल्प विकसित व मलिन बस्ती विकास योजनान्तर्गत धनराशि का प्रेषण	शासन से प्राप्त धनराशि में सेन्टेज की कटौती के उपरान्त प्रेषित धनराशि
				श्याम सिंह राठौर के मकान तक, रवि मेडिकल स्टोर से बादशाह स्कूल होते हुए डा० एस०एन० सचान के मकान तक, आर०बी० यादव के मकान से पंकज द्विवेदी तक, रतन कुशवाहा के मकान से छोटेलाल प्रजापति के मकान तक, श्री कान्त शर्मा के मकान से जानकी के मकान तक, पुष्पेन्द्र यादव के मकान से शंकर जी के मन्दिर तक एवं पंकज द्विवेदी के मकान से कमलेश साहू के मकान तक एवं पास की गलियों में इण्टरलॉकिंग व नाली निर्माण कार्य।		
	योग				233.546	

उपरोक्त अवमुक्त धनराशि का व्यय मुख्यमंत्री नगरीय अल्प विकसित व मलिन बस्ती विकास योजनान्तर्गत निम्न दिशा निर्देशों के अनुसार ही किया जाये:-

- 1- उ०प्र० सरकार के द्वारा जारी शासनादेशों के अनुरूप मुख्यमंत्री नगरीय अल्प विकसित व मलिन बस्ती विकास योजना हेतु स्वीकृत डी०पी०आर०/परियोजना के अनुसार कार्य कराया जाये। प्रत्येक कार्य आरम्भ होने के पूर्व एवं कार्य समाप्त होने के पश्चात फोटोग्राफ प्रत्येक दशा में सम्बन्धित पत्रावली में रखा जाये।
- 2- स्थानीय स्तर पर जो भी कार्य कराये जाये उनकी सूचना सम्बन्धित नगर निकाय एवं अन्य विभागों से समन्वय स्थापित कर और सूचना देकर सुनिश्चित कर लिया जाये ताकि एक ही कार्य दो विभागों द्वारा टेकअप न कर लिया जाये।
- 3- प्रश्नगत परियोजना में प्रस्तावित कार्य आरम्भ करने से पूर्व परियोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति आवश्यक प्राप्त कर ली जाये तत्पश्चात ही कार्य आरम्भ कराया जाये।
- 4- अवमुक्त की जा रही धनराशि के सापेक्ष यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि परियोजनान्तर्गत कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य श्रोत्र से धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है जिससे कि शासकीय धन का दुरुपयोग न होने पाये, अन्यथा की स्थिति में प्रश्नगत धनराशि तत्काल अभिकरण मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- 5- स्थानीय स्तर पर जो भी परियोजनायें या कार्य कराये जाये उनमें पारदर्शिता के साथ गुणवत्ता सुनिश्चित की जाये एवं राज्य सरकार/स्थानीय विधि/नियम एवं पर्यावरणीय बाध्यता/पुरातत्व विभाग आदि के अन्तर्गत यदि कोई स्वीकृत/अनापत्ति अन्य विभागों से लेना हो तो, सुनिश्चित किया जाये।
- 6- प्रश्नगत परियोजनाओं में स्वीकृत की गयी धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत निर्माण कार्य सम्पादित कराते हुये किया जाये।
- 7- परिसम्पत्तियों के सृजन उपरान्त समय से उन्हें सम्बन्धित नगर निकायों को हस्तान्तरित कर दिया जाये ताकि भविष्य में समुचित रख-रखाव में कोई बाधा उत्पन्न न होने पाये। इसके लिये आवश्यक है कि परिसम्पत्तियों के सृजन के पूर्व ही स्थानीय निकायों से तदाशय की सहमति ले ली जाये।



# राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ०प्र०

7/23, सेक्टर-7, गोमतीनगर विस्तार, लखनऊ-226027

Website-sudaup.org

- 8- योजनान्तर्गत अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग वित्तीय वर्ष 2018-19 में अवश्य करा लिया जाये तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र अथवा अवशेष धनराशि अभिकरण को प्रत्येक दशा में उपलब्ध करायी जायें। निर्धारित अवधि के उपरान्त उपयोगिता प्रमाण पत्र/अवशेष धनराशि अभिकरण को नहीं प्राप्त होती है तो शासन द्वारा निर्धारित ब्याज अवमुक्त की गई धनराशि पर देय होगा।
- 9- उक्त धनराशि डूडा द्वारा इस योजना के अन्तर्गत निर्धारित शर्तों/योजना के प्रतिबन्धों के अनुसार निहित मद में व्यय की जायेगी एवं स्वीकृत परियोजनान्तर्गत कार्य क्रमशः इस प्रकार कराये जायें कि वे प्रश्नगत उपलब्ध धनराशि से ही समय से पूर्ण हो जायें।
- 10- प्रश्नगत परियोजना में भुगतान के पूर्व यथानियम केन्द्र, राज्य व स्थानीय करों की स्रोत पर कटौती सम्बन्धी अनिवार्य विधिक प्रतिबन्धों के अनुपालन का ध्यान रखा जायेगा एवं निर्माण में गुणवत्ता के निर्धारित मानकों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा।
- 11- अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिये किया जायेगा जिसके लिये वह स्वीकृत की गई है। किसी प्रकार का व्ययवर्तन अनुमन्य न होगा, शासन द्वारा अवमुक्त की गई धनराशि के कम में धनराशि जनपद को अवमुक्त की जा रही है। उपरोक्त अंकित कार्यों में यदि कार्य/धनराशि की दैरावृत्ति हो रही हो तो उसका भुगतान न करते हुये उसकी सूचना अभिकरण मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में जनपद के सम्बन्धित अधिकारी संयुक्त रूप से उत्तरदायी होंगे।
- 12- शासन द्वारा उक्त परियोजनाओं में अवमुक्त की गई धनराशि में से अनुमन्य सेन्टेज की धनराशि रोककर शेष धनराशि अवमुक्त की जा रही है। उक्त धनराशि के सापेक्ष नियमानुसार गुणवत्तापरक कार्य सम्पादित कराते हुये उपयोगिता प्रमाण पत्र व्यय की गई धनराशि के सापेक्ष भौतिक प्रगति सहित अभिकरण को शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(साजिद आजमी)  
वित्त नियन्त्रक

## पत्रांक एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।

1. परियोजना निदेशक/परि० अधि०, जिला नगरीय विकास अभिकरण, सम्बन्धित जनपद।
2. कार्यक्रम अधिकारी, सूडा।
3. कम्प्यूटर सेल/लेखा विभाग-सूडा।

(साजिद आजमी)  
वित्त नियन्त्रक